5.1.26

उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाता है। विह्हत मिसलात अलग से निकाला जाकर शामिल पत्रावली किया गया / नहरीवाड़ा के बाद नहरी जारी हो। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

GCMS 2025/245

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:19 IST
Reason: SelfAttested

अवगत करवाया जा
आदिकारी को...
हुक्म की तामील
में जारी हुआ

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

प्रकरण सं0 90/25 GCMS 2025/245 दायर दिनांकः– 28–04–2025

1–सुरजाराम पुत्र श्री मोहनदास
2–ओमप्रकाश पुत्र श्री मोहनदास } अकवाम स्वामी साकिनान रायावाली तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

-----प्रार्थीगण

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

-----अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) , 209 आर टी ए

उपस्थित :–

1– श्री सुरज स्वामी अभिभाषक प्रार्थी
2– पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

–:– निर्णय –:–

दिनांकः– 05.01.2026

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके रोही रायांवाली तहसील सूरतगढ के खाता सं0 113/895 के खसरा नं0 265/17 में 7.021 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के चिपती भूमि वाके रोही रायावाली तहसील सूरतगढ के खसरा न0 55/5 में 2.100 है0 बारानी , खसरा न0 17/4 में 68.044 है0 बारानी रकबा राज भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थीगण को अपने रकबा में आवागमन के लिए रायावाली से चक 235 आर डी को चल रहे रास्ता से होते हुये रकबा राज भूमि खसरा न0 55/5 में चार बिघा लम्बाई में एवं 16.5 फुट चौड़ाई में एवं खसरा न0 17/4 में एक बिघा लम्बाई में एव 16.5 बिघा चौड़ाई में दक्षिण पासा कुल 0.125 है0 में चालू रास्ता से आवागमन लगभग 30–40 वर्षो से किया जा रहा है। लेकिन खसरा न0 55/5 में चार बिघा लम्बाई में एवं 16.5 फुट चौड़ाई में एवं खसरा न0 17/4 में एक बिघा लम्बाई में एव 16.5 बिघा चौड़ाई में दक्षिण पासा कुल 0.125 है0 में चालू रास्ता स्वीकृत नही है। जिससे प्रार्थीगण को अपने रकबा में आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए रकबा राज भूमि वाके रोही रायावाली तहसील सूरतगढ के खसरा न0 55/5 में चार बिघा लम्बाई में एवं 16.5 फुट चौड़ाई में एवं खसरा न0 17/4 में एक बिघा लम्बाई में एव 16.5 बिघा चौड़ाई में दक्षिण पासा कुल 0.125 है0 में चालू रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 251 (क) एवं राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 68–70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में उक्त वाद में अंकित तथ्यों की चाही गई रिपोर्ट भू–अभिलेख निरिक्षक एव पटवारी हल्का द्वारा बिन्दुवार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा तैयार कर भिजवाई गई।

रिपोर्ट के पश्चात प्रार्थना–पत्र की प्रति अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

इसके पश्चात प्रार्थी के अभिभाषक एवं पेरोकार राज की बहस सुनी गई। जिसमें प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके रोही रायांवाली तहसील सूरतगढ के खाता सं0 113/895 के खसरा नं0 265/17 में 7.021 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थीगण की उक्त भूमि के चिपती भूमि वाके रोही रायावाली तहसील सूरतगढ के खसरा न0 55/5 में 2.100 है0 बारानी , खसरा न0 17/4 में 68.044 है0 बारानी रकबा राज भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। प्रार्थीगण को अपने रकबा में आवागमन के लिए रायावाली से चक 235 आर डी को चल रहे रास्ता से होते हुये रकबा राज भूमि खसरा न0 55/5 में चार बिघा लम्बाई में एवं 16.5 फुट चौड़ाई में एवं खसरा न0 17/4 में एक बिघा लम्बाई में एव 16.5 बिघा चौड़ाई में दक्षिण पासा कुल 0.125 है0 में चालू रास्ता से आवागमन लगभग 30–40 वर्षो से किया जा रहा है । लेकिन खसरा न0 55/5 में चार बिघा लम्बाई में एवं 16.5 फुट चौड़ाई में एवं खसरा न0 17/4 में एक बिघा लम्बाई में एव 16.5 बिघा चौड़ाई में दक्षिण पासा कुल 0.125 है0 में चालू रास्ता स्वीकृत नही है। जिससे प्रार्थीगण को अपने रकबा में आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । इसलिए रकबा राज भूमि वाके रोही रायावाली तहसील सूरतगढ के खसरा न0 55/5 में चार बिघा लम्बाई में एवं 16.5 फुट चौड़ाई में एवं खसरा न0 17/4 में एक बिघा लम्बाई में एव 16.5 बिघा चौड़ाई में दक्षिण पासा कुल 0.125 है0 में चालू रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी 1 ने उक्त रास्ता स्वीकृत करने में कोई उज्र व एतराज नही है ।

उभय पक्षो की बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावैजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके रोही रायांवाली तहसील सूरतगढ के खाता सं0 113/895 के खसरा नं0 265/17 में 7.021 है0 बारानी खातेदारी भूमि को किसी भी प्रकार का कोई भी वैक्लपिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण रकबा राज भूमि वाके रोही रायावाली तहसील सूरतगढ के खसरा न0 55/5 में चार बिघा लम्बाई में एवं 16.5 फुट चौड़ाई में एवं खसरा न0 17/4 में एक बिघा लम्बाई में एव 16.5 बिघा चौड़ाई में दक्षिण पासा कुल 0.125 है0 में चालू रास्ता स्वीकृत से अपनी खातेदारी भूमि के आवागमन कर रहे है । उक्त चालू रास्ता स्वीकृत किया जाना सही है । इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर रोही रायावाली तहसील सूरतगढ के खाता सं0 1 आरजी राज भूमि के खसरा न0 55/5 में चार बीघा लम्बाई में एवं 16.5 फुट चौड़ाई एवं खसरा न0 17/4 में एक बीघा लम्बाई में एव 16.5 बीघा चौड़ाई (दक्षिण पासा) कुल 0.125 है0 बारानी भूमि को रकबा राज से कलमजन कर गै0मु0 रास्ता के नाम अंकन करने का आदेश दिया जाता है। तथा प्रार्थीगण को गैर मु0 रास्ता की एवज में डी एल सी (DLC) दर की दुनी राशि तहसीलदार राजस्व सूरतगढ जमा करवाने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है । तहसीलदार सूरतगढ के नाम तहरीर जारी हो । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:19 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जयप्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)